बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

विषय :— सिंगल विण्डो क्लियरेन्स एक्ट, 2006 के धारा–4 के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति का गठन।

सिंगल विण्डो क्लियरेन्स एक्ट–2006 के धारा–4 में निहित प्रावधानों के अनुरूप औद्योगिक विकास आयुक्त सम्प्रति प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जिसका संरचना निम्न प्रकार होगा :—

1—	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2—	प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3—	प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4—	प्रधान सचिव, भू–राजस्व विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
5—	प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना	सदस्य
6—	सचिव, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना	सदस्य
7—	उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	सदस्य
8—	निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना	सदस्य सचिव

(ii) यह समिति राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् (State Investment Promotion Board) द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करेगी तथा निवेशकों द्वारा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् से अनुमोदन के लिए समर्पित प्रस्तावों पर संबंधित विभागों/संगठनों/बोर्डो से एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।

(iii) यह समिति ऐसे विभागों/एजेन्सियों को चिन्हित् करेगी, जो समय सीमा के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा पारित आदेशों/निदेशों का अनुपालन समय सीमा के अंतर्गत नहीं करती है तथा ऐसे विभागों/एजेन्सियों के संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उनके विभाग के विभागाध्यक्ष को अपनी अनुशंसा भेजेगी।

(iv) समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार वैसे सक्षम पदाधिकारी या विशेषज्ञ, जो समिति के सदस्य नहीं हैं को समिति की बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित कर सकेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(आलोक कुमार सिन्हा),
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषाँग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ ई–गजट कोषाँग में प्रकाशन हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

ह0/–
(आलोक कुमार सिन्हा),
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–   अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ उद्योग विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

ह0/–
(आलोक कुमार सिन्हा),
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1010 /पटना, दिनांक– 12-07-2012

प्रतिलिपि–   सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/प्रधान सचिव, भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना/ अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, उद्योग/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) विकास संस्थान, पटना/ अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/ बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स/सी0आई0आई0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11-7-12

(आलोक कुमार सिन्हा),
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

11/7/12